



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रेस-नोट

दिनांक:- 09.06.2022

## श्री आर0एस0 गौतम पुलिस उपायुक्त काशी-जोन, वाराणसी द्वारा आगामी पर्व एवं त्यौहार के दृष्टिगत जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस फोर्स के साथ शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त किया गया

आज दिनांक 09.06.2022 को आगामी पर्व एवं त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त काशी-जोन कमिश्नरेट वाराणसी श्री आर0एस0 गौतम महोदय द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली श्री त्रिलोचन त्रिपाठी व प्रभारी निरीक्षक आदमपुर सहित थाना आदमपुर क्षेत्र के छित्तनपुरा, पठानी टोला, ओमकालेश्वर, कोयला बाजार, नीम तले मछोदरी में पुलिस बल एवं PRV वाहनों के साथ हूटर/सायरन तथा लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए मय बॉडी प्रोटेक्टर,हेलमेट ,डंडा रूट मार्च/ फ्लैग मार्च किया गया किया गया तथा गस्त के दौरान जनता के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए जनता में मित्र पुलिस का संदेश भी दिया गया। जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सके तथा आम लोग अपनी जान-माल की सुरक्षा हेतु पुलिस से सहज रूप से बिना किसी भय अथवा डर के अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को दर्ज करा सकें तथा अपराधियों के बीच भय उत्पन्न हो एवं शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित किया जा सके, गस्त के दौरान लोगों से संवाद करते हुए डीसीपी महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. आप लोग अफवाहों से बचें, यदि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो अफवाह फैलाते हो तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर अवगत कराएं। यदि कोई व्यक्ति अफवाहों पर विचार कर किसी प्रकार का कोई उद्दंडता करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
2. सोशल मीडिया/अन्य माध्यमों से नफरत व द्वेष फैलाने वाले अफवाहों से बचें तथा स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का कोई मैसेज न भेजे जिससे कानून व्यवस्था के प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पाये। सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।
3. पुलिस उपायुक्त काशी-जोन महोदय द्वारा निर्देश दिया कि कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग तेज ध्वनि में नहीं करेगा। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित डेसीबल में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाउड स्पीकर की आवाज कार्यक्रम स्थल से बाहर न जाये।
4. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा सर्व सम्बन्धित को अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया/अन्य माध्यमों से नफरत व द्वेष फैलाने वाले अफवाहों से बचें तथा स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का कोई मैसेज न भेजे जिससे कानून व्यवस्था के प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पाये। सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।
5. कानून का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कड़ी दण्डात्मक वैधानिक की जाएगी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त,  
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।